Email: arcbikaner.cswri@icar.gov.in. दूरभाष : 0151.2250936
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
मरू क्षेत्रीय परिसर, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर–राजस्थान (भारत) 334006
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
ARID REGION CAMPUS BEECHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER RAJASTHAN (INDIA)

Dated 18.01.2018

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job contract work for providing of chowkidars/watchman** for ARID REGION CAMPUS BEECHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER 334006 RAJASTHAN

Manual bids shall not be entertained.
Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	BK/contract proposal/2017-6
Date and Time for issue/Publishing	18-01-2018, 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	19-01-2018, 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	20-01-2018, 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	12-02-2018, 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	13-02-2018, 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs. 1000/- Earnest money – Rs. 20,000/- Security money – 5-10 % of contract amount
Bank detail	CSWRI UNIT ARC, Bikaner Payable at Punjab National Bank Branch – Beechwal Ind. Area, Bikaner Rajasthan 334006
Address for Communication	The Head, C.S.W.R.I., ARID REGION CAMPUS BEECHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER

Head

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenderer/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.1,000/-** (Nonrefundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **CSWRI UNIT ARC, Bikaner payable at Punjab National Bank, Beechwal Ind. Area, Bikaner may be addressed to the Head, C.S.W.R.I., ARC, Bikaner, Rajasthan Pin- 334006** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of CSWRI UNIT ARC, Bikaner payable at Punjab National Bank, Beechwal Ind. Area, Bikaner** may be addressed to the **Head, C.S.W.R.I., ARC, Bikaner, Rajasthan Pin- 334006** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Head, C.S.W.R.I., ARC, Bikaner, Rajasthan Pin- 334006 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI,ARC, Bikaner. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, ARC, Bikaner then theyhave to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of GST Number
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of License under The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005
6. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
7. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
8. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case which documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessarily cause confusion.

Head

निविदा प्रपत्र सूची

मरू क्षेत्रीय परिसर, बीकानेर के मेन गेट व फार्म एरिया के मेन गेट पर 24 घण्टे चौकीदार/वाचमेन उपलब्ध करवाने व आवासीय परिक्षेत्र, मुख्य कार्यालय भवन (रात्रि शिफ्ट) एवं सम्पूर्ण फार्म प्रक्षेत्र की निगरानी से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबंध (जॉब कॉन्ट्रेक्ट)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान परिसर के मेन गेट व फार्म एरिया के मेन गेट पर 24 घण्टे चौकीदार/वाचमेन उपलब्ध करवाने व आवासीय परिक्षेत्र, मुख्य कार्यालय भवन (रात्रि शिफ्ट) एवं सम्पूर्ण फार्म प्रक्षेत्र की निगरानी से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबंध (जॉब कॉन्ट्रेक्ट) /ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि उपयुर्क्त अनुबंध कार्य को उक्त दर्शायी गई दरों पर करूंगा तथा मैं प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनबुन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियो/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या मेरे प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि उपयुर्क्त अनबुंध कार्य को उक्त दर्शायी गयी दरों पर करूंगा तथा उसमें जरूरी कार्मिक आपके आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाऊंगा ।

मै यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी चौकीदारों की मजदूरी का भुगतान भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19 जनवरी 2017 को जारी अधिसूचना की अनूसूची में क्षेत्र–ख में चौकीदार को अर्ध कुशल श्रेणी के लिए समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समझा जावेगा। संस्थान सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/ हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै इस संबंध में किसी प्रकार की संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं

मरू क्षेत्रीय परिसर, बीकानेर के मेन गेट व फार्म एरिया के मेन गेट पर 24 घण्टे चौकीदार/वाचमेन उपलब्ध करवाने व आवासीय परिक्षेत्र, मुख्य कार्यालय भवन (रात्रि शिफ्ट) एवं सम्पूर्ण फार्म प्रक्षेत्र की निगरानी से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबंध (जॉब कॉन्ट्रेक्ट) करने हेतु कार्य का विवरण :

अ. इस कार्य हेतु सम्पूर्ण ठेके में निम्नानुसार तीन बिन्दू निर्धारित किये गये है :–

(i) कॉलोनी मैन गेट से पूरा कॉलोनी एरिया (ii) मुख्य कार्यालय भवन (रात्रि शिफ्ट) (iii) फार्म मैन गेट एवं फार्म एरिया

ब. उपरोक्त के साथ–साथ अनुबन्धकर्ता को नीचे दर्शाये गए कार्यो को जिम्मेदारी से पूर्ण करना होगा :–

(i) परिसर के सम्पूर्ण फार्म के अन्दर सभी भवन, प्रायोगिक शेड्स, लैब कॉम्पलेक्स, वर्कशॉप, केन्द्रीय भण्डार, क्वारेन्टीन शेड, फार्म स्टोर, सभी सेक्टरो की निगरानी व पूरे फार्म प्रक्षेत्र की तारबंदी व अन्य भवनो व उपकरणो आदि की निगरानी। फार्म के अन्दर खड़े वृक्षों जैसे खेजड़ी, नीम, किकर आदि को आवांछित व्यक्तियों से बचाना होगा। पेड़ काटकर ले जाने, चोरी हो जाने की स्थिति में नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिल से की जायेगी। इसके साथ–साथ वन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किये गये दण्ड/जुर्माने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

(ii) फार्म के अन्दर उगाई जाने वाली सभी फसलों से उत्पन्न अनाज, चारा आदि को सम्बन्धित ठेकेदार मुख्य गेट से ही लेकर जाये, सुनिश्चित करना होगा। फार्म प्रक्षेत्र के अन्दर बाहरी व्यक्तियों को मुख्य गेट से प्रवेश सुनिश्चित करना होगा अन्य किसी स्थान से प्रवेश रोकना होगा। गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड को गेट के अन्दर आने वाले सभी व्यक्तियों के नाम व पते तथा गाड़ियों के नम्बर मय चालक के नाम व उनमें रखें सामान का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने होगें तथा सुरक्षा अधिकारी को प्रति दिन चैक करवा कर उस पर हस्ताक्षर करवाने होगें।

(iii) फार्म की बाहरी व अन्दर की तार बंदीयों का रखरखाव करना होगा व अतिरिक्त श्रमिक लगाकर समय–समय पर इनकी मरम्मत करवानी होगी। जिसके लिए सामग्री जैसे तार आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) फार्म के अन्दर सभी प्रायोगिक शेड प्रयोगशालाओं, सेक्टरो आदि पर किसी भी आवांछित व्यक्ति व जानवरो का प्रवेश रोकना होगा। यदि को अवांछित व्यक्ति घुमता हुआ पाया जाता है तो उसे तुरन्त फार्म से बाहर निकालना होगा। फार्म प्रक्षेत्र के अन्दर किसी भी वारदात जैसे चोरी आदि की घटना होने पर उसकी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट निकटतम थाने में जाकर ठेकेदार को स्वंय करानी होगी। साथ ही घटना कर सूचना सुरक्षा प्रभारी को देनी होगी। किसी प्रकार की हानी/सामान की चोरी इत्यादि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

(v) यदि कोई आवांछित पशु जैसे सुअर, गाय, नीलगाय, भैंस, गधा, कुता आदि फार्म एरिया में पाया जाता है तो प्रति जानवर 100 रुपये प्रति दिन इस कार्यालय में जमा कराने होगें (अन्यथा यह राशि ठेकेदार के बिल में से काट ली जायेगी) तत्पश्चात जानवर तुरन्त निर्देशित फाटक में स्वंय के खर्चे पर पहुंचाने होगें और उसकी रसीद सुरक्षा प्रभारी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

(vi) सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय (रात्रि अथवा दिन में) जॉच पर जाते समय मागें गये चोकीदार/वाचमेन साथ भेजना अनिवार्य होगा तथा अनुशासन बनाये रखना होगा। यदि कहीं पर अनुशासनहीनता परिलक्षित होती है तो सम्बन्धित अधिकारी किसी भी प्रकार का दण्ड/अनुबंध समाप्ति/कटौती के लिये स्वतंत्र होगें। ठेकेदार की किसी भी सफाई पर विचार नहीं किया जायेगा।

(vii) कार्यालय बंद होने के तुरन्त बाद सुरक्षा कर्मचारी सभी भवनों व गेट आदि पर लगे तालो की जॉच कर प्रभारी सुरक्षा अनुभाग को सूचित करेगा। रात्रि 10.00 बज से प्रातः 6.00 बजे तक सुरक्षा पर्यवेक्षक गस्ती पर रहेगा व सभी भवनों व गेटों के तालों की जॉच करेगा।

(viii) यदि संस्थान का कोई भी कर्मचारी/अधिकारी कार्यालय समय के पहले /बाद मे/अवकाश के दिन कार्यालय में आता है तो उससे चौकीदार रजिस्टर में आने व जाने के समय की तथा कार्यालय में आने के प्रयोजन आदि का इन्द्राज करवायेगा।

नियम एंव शर्तें :–

1. अनुबंध की अवधि दिनांक 01.03.2018 से 31.03.2019 तक होगी परन्तु कार्य संतोषजनक रहने पर अगले एक वर्ष के लिए बढाया जा सकता है। संतोषजनक कार्य नहीं होने पर अनुबंध कभी भी बिना पूर्व सूचना के रद्व किया जा सकता है।
2. सफल निविदादाता का आकलन समिति द्वारा प्रस्तुत दर उनकी प्रतिष्ठा, कार्य अनुभव के लिए उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार किया जायेगा।
3. अनुबन्ध कर्ता कार्य स्वंय निस्पादित कराऐगें। किसी अन्य एजेन्सी को पेटी ठेका कार्य नहीं सोपेगें यदि ऐसा पाया जाता हैतो अनुबन्ध रद्व कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. एग्रीमेन्ट में वर्णित सभी शर्तो/नियमों का कडाई से पालन करना होगा अन्यथा अनुबन्ध बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।
5. चौकीदार/वाचमेन को सम्पूर्ण वर्णित क्षेत्र में मय नाम, वर्दी, सीटी, टार्च एंव लाठी के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक दिन अनुबन्धकर्ता को अपने कार्य की रिपोर्ट प्रभारी सुरक्षा को पेश करनी होगी।
7. ठेकेदार को सरकार के श्रम कानूनों व न्यूनतम मजदूरी अधिनियमों का कडाई से पालन करना होगा। चौकीदारों/वाचमेन को भुगतान की जानकारी (acquaitance roll) की एक प्रति कार्यालय को प्रति माह बिल के साथ आवश्यक रुप से प्रस्तुत करनी होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी विवाद की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
8. अनुबंधकर्ता/एजेन्सी/फर्म/कम्पनी द्वारा सरंथान में उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों/प्रतिनिधियों का प्रत्येक माह काटे जाने वाले ई.पी.एफ./ई.एस.आई. संबधित रिकार्ड कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त चालान की प्रतियों (प्रत्येक

श्रमिक/प्रतिनिधि का अलग–अलग खाता संख्या के साथ) (पिछले माह का अगले माह के बिल के साथ संलग्न करना होगा जैसे माह नवम्बर से अनुबंध जारी होता है तो अक्टूबर माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा)। हर माह प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। अथवा वर्क मेन कम्पनशेसन इंश्योरेन्स पॉलिसी कराई जानी चाहिए। साथ ही अनुबंधकर्ता द्वारा जमा करवाये जाने वाले GST की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

9. फर्म को संस्थान परिसर की निगरानी हेतु लगाये जाने वाले चौकीदार/वाचमेन हष्ट–पुष्ट, तंदुरूस्त एवं स्वस्थ होने चाहिए। सभी चौकीदारों को सुरक्षा अधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर परिचय पत्र बनवाकर देने होगें जो चौकीदारों को ड्यूटी के दौरान हमेशा अपने पास रखना होगा। किसी भी चौकीदार की उम्र 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।
10. निगरानी कार्य हेतु लगाये जाने वाले चौकीदार हिन्दी व सम्भव हो तो अंग्रेजी भाषा लिखने व बोलने की क्षमता रखते हो।
11. ठेकेदार को निगरानी कार्य पर लगाये जाने वाले पर्यवेक्षक व चौकीदारों का सम्पूर्ण बायोडाटा फार्म मय सत्यापित फोटो परिचय पत्र व टेलीफोन/मोबाईल नम्बर के साथ कार्यालय में ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कराना होगा।
12. ठेकेदार द्वारा उचित चौकीदारों को नही लगाये जाने पर, नियमों का पालन न करने पर और कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर या लापरवाही महसूस होने पर सक्षम अधिकारी का ठेकेदार की जमानत राशि तथा बकाया भुगतान जब्त कर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा। चौकीदार प्रतिदिन एक ही पारी पर कार्य करेगा। दो पारियो की ड्यूटी की अनुमति नही दी जायेगी। कोई भी चौकीदार तब तक ड्यूटी नहीं छोडेगा जब तक दूसरा चौकीदार पर नहीं आ जाता है। चौकीदार/वाचमेन को नशे की हालत में ड्युटी देने की अनुमति नहीं होगी। यदि फर्म द्वारा कार्यादेश में वर्णित नियमों के अनुसार चौकीदार/वाचमेन उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो उस अवस्था में रु. 500/– प्रति दिन प्रति चोकीदार के हिसाब से कटौती की जायेगी।
13. सुरक्षा का विशेष मुल्यांकन समय समय पर प्रभागाध्यक्ष द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा किया जायेगा उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा। शिकायत प्राप्त होने पर बिल एंव धरोहर राशि से कटौती की जायेगी या अनुबन्ध रद्ध करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। संस्थान को किसी भी प्रकार की उक्त अनुबन्ध से होने वाली हानि की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
14. ठेकेदार द्वारा प्रति माह भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल पर पेन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार के बिल में से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी। कार्य संतोषजनक होने पर ही बिल का भुगतान 30 दिवस में किया जाएगा।
15. चौकीदार इस संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी का सम्बन्धी न हो।
16. पर्यवेक्षक सभी रजिस्टर व रिकार्ड का रखरखाव करेगा।
17. चौकीदारों की उपस्थिति पंजिका रखी जायेगी व अवकाश अवधि के समय की वैकल्पिक व्यवस्था की जाये जिसकी सूचना कार्यालय को समय पर दी जाये।
18. निदेशक/प्रभागाध्यक्ष के द्वारा अनुबन्ध करने/जारी रखने/बिना पूर्व सूचना के रद्ध करने का पूर्ण अधिकार भी सुरक्षित होगा तथा उक्त संदर्भ में लिये गये प्रत्येक निर्णय की पालना ठेकेदार को करनी होगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा में दर्शायी गयी सभी नियम व शर्ते भली–भांति पढ ली है तथा मुझे पूर्ण रुप से स्वीकार है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर मरू क्षेत्रीय परिसर, बीकानेर के मेन गेट व फार्म एरिया के मेन गेट पर 24 घण्टे एवं मुख्य कार्यालय भवन (रात्रि शिफ्ट) में चौकीदार/वाचमेन उपलब्ध करवाने व आवासीय परिक्षेत्र, मुख्य कार्यालय भवन एंव सम्पूर्ण फार्म प्रक्षेत्र की निगरानी से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबंध (जॉब कॉन्ट्रेक्ट) के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ। साथ ही यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मुझे किसी विभाग एवं मंत्रालय द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का पता
मोबाईल नं.